राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राज. जयपुर

क्रमांकः–एफ.4( )पी.पी. / तक–2 / G.L. / L.C. / 2020–21 / 10595-758 दिनांक : 22/06/2020

संशोधित–आदेश

विषयः– **वर्ष 2020–21 में टिड्डी नियंत्रण हेतु दिशा–निर्देश।**
प्रसंग :– कृषि आयुक्तालय के समसंख्यक पत्रांक 1761–1915 दिनांक 30.04.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र द्वारा वर्ष 2020–21 में टिड्डी नियंत्रण हेतु जारी दिशा–निर्देशो के बिन्दु संख्या 7, 9 व 14 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है–

बिन्दु संख्या 7 – टिड्डी कीट नियंत्रण के लिए पौध संरक्षण रसायन **विभाग द्वारा अनुमोदित कीटनाशी निर्माताओ** से ग्राम सेवा सहकारी समिति / क्रय–विक्रय सहकारी समिति / लेम्पस के माध्यम से क्रय किया जा सकेगा।

बिन्दु संख्या 9 – कृषकों को पौध संरक्षण रसायनों पर शत् प्रतिशत **अनुदान विभाग द्वारा अनुमोदित दर** पर अधिकतम राशि रूपये 1000 / – प्रति हैक्टर जो भी कम हो देय होगा। अनुदान राशि का भुगतान 50 प्रतिशत सबंधित योजना से एवं 50 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान राशि राज्य योजनान्तर्गत (टॉप अप) देय होगा। प्रति कृषक अधिकतम अनुदान सीमा 2 हैक्टेयर होगी।

बिन्दु संख्या 14 – अकृषि क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण हेतु पौध संरक्षण रसायनों की अग्रिम उपलब्धता के.वी.एस.एस. / जी.एस.एस. / लेम्पस के माध्यम से विभागीय सहायक कृषि अधिकारी / कृषि पर्यवेक्षक को करायी जायेगी, जिससे कि समय पर तुरन्त नियंत्रण की कार्यवाही की जा सके। इस प्रकार प्रयोग में लिए गये रसायन की उपयोगिता का प्रमाणीकरण राजस्व अधिकारी / पटवारी / ग्राम विकास अधिकारी से भी कराया जाना आवश्यक होगा। **अकृषि क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण हेतु उपयोग में लिए जाने वाले रसायनो की अनुदान राशि का भुगतान भी विभाग द्वारा अनुमोदित निर्माताओ की दरो पर किया जावेगा।**

उक्त आदेश दिनांक 15.06.2020 से प्रभावी होगें।

(डॉ. ओमप्रकाश)
आयुक्त कृषि

क्रमांकः–एफ.4( )पी.पी. / तक–2 / G.L. / L.C. / 2020–21 / 10598-758 दिनांक : 22/06/2020
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय कृषि मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समस्त जिला कलेक्टर ....।
4. अतिरिक्त निदेशक कृषि (आदान / विस्तार / अनुसंधान / उद्यान) मु. जयपुर ।
5. संयुक्त निदेशक कृषि (योजना / जउप्र / आइसोपॉम / आरकेविवाई / गु.नि.) मु. जयपुर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड ....को भेजकर अनुरोध है कि टिड्डी नियंत्रण हेतु जारी दिशा–निर्देशानुसार वांछित कार्रवाई कराना सुनिश्चित करावें।
7. परियोजना निदेशक, सी.ए.डी. कोटा।
8. समस्त उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जि.प. / आईजीएनपी बीकानेर ....।
9. समस्त सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) / जिला विस्तार अधिकारी ....।

22/6/2020

संयुक्त निदेशक, कृषि (पौ.सं.)

Scanned by CamScanner